

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023—माघ 7, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हेमन्त कुमार शर्मा ये सूचना देता हूँ कि मेरे पुत्र नक्ष शर्मा (NAKSH SHARMA) आयु 7 वर्ष, जिसका पूर्व में नाम आधार कार्ड व अन्य कागजात पर त्रुटिवश निलेश (NILESH) दर्ज हो गया है. अतः मेरे पुत्र को नक्ष शर्मा नाम से जाना, पहचाना एवं पढ़ा लिखा जाए.

(नक्ष शर्मा पिता हेमन्त कुमार शर्मा)

(NAKSH SHARMA S/o HEMANT KUMAR SHARMA)

212, नानियाजी की गली, खजराना गणेश मंदिर के पास,
खजराना, इंदौर (मध्यप्रदेश).

(G-68)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सचिन जैन, निवासी 5/1, लाड गली धार का उपनाम जैन था जो कि उपनाम परिवर्तन पश्चात् 'जैन' के स्थान पर 'लाड' किया गया.

अतः भविष्य में मुझे सचिन लाड पिता अशोक कुमार लाड (SACHIN LAAD S/o ASHOK KUMAR LAAD) इसी के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम
(सचिन जैन)

नया नाम
(सचिन लाड)

(G-69)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती श्रद्धा साहू (SHRADDHA SAHU) पत्नी श्री सुमित कुमार साहू, पुत्री श्री जगदीश सिंह कुशवाह, निवासी मकान नंबर 54 राम मंदिर के सामने, टीलाजमालपुरा, भोपाल मध्यप्रदेश की हैं। मेरा नाम हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की अंक सूची में श्रद्धा कुशवाह अंकित है। विवाह के पश्चात मेरा नाम श्रद्धा साहू, पत्नी श्री सुमित कुमार साहू लिखती हूँ तथा यही नाम मेरे आधार कार्ड एवं परिचय पत्र में श्रीमती श्रद्धा साहू नाम से अंकित है। मेरा विवाह हो चुका है इसलिए अब मैं अपना नाम श्रीमती श्रद्धा साहू पत्नी सुमित कुमार साहू लिखती हूँ। अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना, संबोधित एवं आगे लिखा जाए।

पुराना नाम (श्रद्धा कुशवाह) (Shradha Kushwaha)	नया नाम (श्रद्धा साहू) (Shraddha Sahu)
(G-70)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम भारतीय जीवन बीमा निगम की दिनांक 28 जनवरी 2004 को क्रय की गई जीवन किशोर लाभ सहित पालिसी क्र. 342657805 में धरेलू नाम सावन शिवहरे लिखा गया है मेरे द्वारा अपना नाम बदलकर अर्पित पिता मनोहर शिवहरे कर लिया है अतः उपरोक्त पालिसी में मेरा नाम अर्पित पिता मनोहर शिवहरे (ARPIT S/O MANOHAR SHIVHARE) पढ़ा जावे। सो विदित होवे।

पुराना नाम (सावन पिता मनोहर शिवहरे)	नया नाम (अर्पित पिता मनोहर शिवहरे) 26, महेश्वर रोड, बडवाह, जिला खरगोन (म. प्र.)
(G-71)	

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती साधना मिश्रा पत्नी स्व. श्री जगदीश प्रसाद जी आयु वयस्क निवासी एच 121 अ/24 शिवाजी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश में निवास करती हूँ। मैं जल संसाधन विभाग भोपाल में वरिष्ठ निज सहायक के पद पर पदस्थ हूँ। मेरी सर्विस बुक रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती साधना धुर्वे अंकित है। यह कि दोनों ही नाम साधना धुर्वे एवं साधना मिश्रा मेरे स्वयं के ही उपनाम हैं और एक ही महिला के नाम हैं। आज दिनांक से भविष्य में शासकीय, अशासकीय विभागों में श्रीमती साधना मिश्रा के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम (साधना धुर्वे)	नया नाम (साधना मिश्रा)
(G-72)	

Change of Name

I, KIRAN SITLANI have changed my name to MANJU LALWANI W/O ASHOK LALWANI and now I would be known as MANJU LALWANI W/O ASHOK LALWANI ADD : H. No. 71, NEELKANTH COLONY, IDGAH HILLS WARD NO. 10, HUZUR BHOPAL, MP 462001.

OLD NAME (KIRAN SITLANI)	NEW NAME (MANJU LALWANI)
(G-73)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा बोलता नाम स्नेहल समीर खेर (Snehal Sameer Kher) था जो सिर्फ मेरे घर में बोला जाता था जो कि मेरे पति के म्यूच्युअल फण्ड फोलियो नंबर 15363434 पर नामिनी के रूप में दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम मेघा खेर पति समीर खेर (Megha Kher W/o. Sameer Kher) है जो कि मेरे आधार व पैन कार्ड पर दर्ज है एवं उपरोक्त दोनों नाम स्नेहल समीर खेर एवं मेघा खेर पति समीर खेर एक ही महिला अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम मेघा खेर पति समीर खेर (Megha Kher W/o Sameer Kher) से ही जाना पहचाना लिखा पढ़ा व बोला जाये सो विदित हो.

पुराना नाम
(स्नेहल समीर खेर)

नया नाम
(मेघा खेर पति समीर खेर)

निवासी : 232 वी. आई. पी., परस्पर नगर, इंदौर.

(G-74)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती प्रियंका खटवानी (PRIYANKA KHATWANI) पत्नी श्री विनोद खटवानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम प्रिया खटवानी (PRIYA KHATWANI) है जो मेरे बीमा पॉलिसी क्रमांक 200241627 में लिखा गया है वर्तमान में मैं श्रीमती प्रियंका खटवानी पत्नी श्री विनोद खटवानी के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, वोटर कार्ड में भी लिखा हुआ है. और भविष्य में भी मैं, श्रीमती प्रियंका खटवानी पत्नी श्री विनोद खटवानी के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी. श्रीमती प्रियंका खटवानी तथा प्रिया खटवानी दोनों मेरे ही नाम है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200241627 में मेरा नाम प्रिया खटवानी के स्थान पर मेरा सही नाम श्रीमती प्रियंका खटवानी पत्नी श्री विनोद खटवानी लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
(प्रिया खटवानी)

नया नाम
(प्रियंका खटवानी)
बी-65, सिंधुबिहार, नदीगेट,
लशकर, ग्वालियर.

(G-75)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद नवेद (MOHAMMAD NAWED) पुत्र श्री मो वसीम सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम मो मुकीम (MO MUKIM) था. जो मेरे आधार कार्ड में लिखा है. जो कि गलत है. जबकि वर्तमान में मैं, मोहम्मद नवेद (MOHAMMAD NAWED) नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे वोटर कार्ड इत्यादि में लिखा गया है. जो सत्य व सही है एवं भविष्य में भी मैं, मोहम्मद नवेद (MOHAMMAD NAWED) नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मोहम्मद नवेद (MOHAMMAD NAWED) एवं मो मुकीम (MO MUKIM) दोनों मेरे ही नाम हैं एवं मो मुकीम (MO MUKIM) के स्थान पर मेरा नाम मोहम्मद नवेद (MOHAMMAD NAWED) लिखा एवं पढ़ा जावे आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
मो मुकीम (MO MUKIM)

नया नाम
मोहम्मद नवेद (MOHAMMAD NAWED)

पता-झांसी मोहल्ला, भिण्ड, मध्यप्रदेश.

(G-76)

CHANGE OF NAME

I, Brajesh Kumar Ojha resident of Flat No. 12A/304, Dwarkadham New Jail Road, Bhopal 462038, have changed my minor daughter's name from Aditi to Aditi Ojha vide affidavit dated 28th September 2022 at Bhopal.

Old Name
(Aditi)

New Name
(Aditi Ojha)

(G-77)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गणेश जी फर्म नं. 05/22/03/0179/20, दिनांक 10 फरवरी 2020 पता-पडरा रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (मध्यप्रदेश) यह कि फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुए दिनांक 21 नवम्बर 2022 से फर्म के पार्टनर नं. 01 श्री गजेन्द्र प्रसाद दुबे, पार्टनर नं. 04 डॉ. कुलदीप मिश्रा दिनांक 21 नवम्बर 2022 को अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

द्वारा फर्म
श्री राजन प्रसाद दुबे
(पार्टनर)
मेसर्स श्री गणेश जी
पता-पडरा रीवा,
जिला रीवा (मध्यप्रदेश).

(G-78)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s SIDDH BABA STONE CRUSHER जो 01 प्रगति विला, नरेन्द्र नगर, छत्री रोड, शिवपुरी में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/41/01/0026/22 दिनांक 29 मई 2022 है, जिसमें दिनांक 15 अक्टूबर 2022 को नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री धनीराम सिंह, निवासी-शब्द प्रताप आश्रम, महावीर कॉलोनी, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 15 अक्टूबर 2022 को (1) शशि द्विवेदी पत्नी श्री अरूण कुमार द्विवेदी, निवासी, हाऊस नं. 96, बलवंत नगर, थाटीपुर, ग्वालियर (2) गणेश राम धाकड़ पुत्र श्री कल्याण सिंह धाकड़, निवासी-ग्राम खरई, तहसील कोलारस, शिवपुरी (3) श्रीमती निशा शिवहरे पत्नी श्री रविन्द्र शिवहरे, निवासी हनुमान मंदिर, ए. बी. रोड, मानीपुरा, कोलारस, जिला शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पवन कुमार जैन
(भागीदार)
M/s SIDDH BABA STONE CRUSHER
01 प्रगति विला, नरेन्द्र नगर, छत्री रोड, शिवपुरी.

(G-79)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. न्यू बालाजी, स्टोन मिल ग्राम, दिदवारा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/04/0127/19 है जिसमें दिनांक 25 जुलाई 2021 को भागीदार श्री विपिन कुमार राय पुत्र श्री राजनाथ राय, निवासी 190, गांधी नगर, महोबा (उत्तरप्रदेश) का स्वर्गवास हो जाने के कारण फर्म से पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक 25 जुलाई 2021 को उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अपर्णा राय (उत्तराधिकारी) पत्नी स्व. श्री विपिन राय निवासी 625, ए अमृत बस्ती, गांधी नगर, महोबा (उत्तरप्रदेश) 210427 फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई यह परिवर्तन लेखबद्ध दिनांक 28 अगस्त 2021 से प्रभावशील रहेगा आमजन, सर्वजन सूचित हो.

मे. न्यू बालाजीस्टोन मिल
राम आसरे गुप्ता (भागीदार)
ग्राम दिवारा, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश).

(G-80)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s VIJAY AND COMPANY जो माधव चौक, शिवपुरी में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 87/7172, दिनांक 21 अप्रैल 1971 है, जिसमें दिनांक 4 नवम्बर 2022 को मृदुल कुमार जैन पुत्र श्री विजय कुमार जैन, निवासी कोर्ट रोड, शिवपुरी की मृत्यु हो जाने से फर्म से पृथक हो रहे हैं एवं दिनांक 7 नवम्बर 2022 को श्री आर्यन जैन पुत्र श्री रविन्द्र कुमार जैन, निवासी एलआईसी ऑफिस के पीछे, गुना फर्म में नवीन भागीदार के रूप सम्मिलित हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

M/s VIJAY AND COMPANY
विजय कुमार जैन (भागीदार)
माधव चौक, शिवपुरी

(G-81)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s V K AGRAWAL जो शांती सदन ए बी रोड, रूठीयाई गुना में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 326, दिनांक 17 अक्टूबर 1995 है, जिसमें दिनांक 1 अप्रैल 2005 को श्री मिश्रीलाल अग्रवाल पुत्र श्री बिहारीलाल अग्रवाल एवं रितुराज अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासीगण रूठीयाई, गुना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं एवं दिनांक 27 नवम्बर 2019 को भागीदार श्री मिश्रीलाल अग्रवाल पुत्र श्री बिहारीलाल अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 27 नवम्बर 2019 को हो जाने से फर्म से पृथक् हो गए एवं इसी दिनांक को श्री गगन अग्रवाल पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासी रूठीयाई, गुना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

M/s V K AGRAWAL
राजेन्द्र कुमार अग्रवाल (भागीदार)
शांती सदन, ए बी रोड, रूठीयाई, गुना.

(G-82)

Ref. No 27

NOTICE

Date 09/01/2022

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "M/s. VIKAS ROAD CARRIERS" of Bhopal vide Reg. No. 1219/1982 year 1982-83 date of Registration 04/11/1982 undergone the following changes:-

1. That Shri Vimal Kuamr Jain S/o Shri Mohan Lal Jain in pursuance to his desire to retire from the partnership firm w.e.f.24/10/1984.
2. That Shri Sumat Kumar Jain S/o Shri Mangi Lal Jain have expressed his desire to join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them w.e.f. 01/04/1991.
3. That Shri Pushap Kumar Jain S/o Shri Ghewar Mal Jain in pursuance to his desire to retire from the partnership firm w.e.f.30/06/1991.
4. That Shri Mangi Lal Jain S/o Late. Shri Ganpat Lal Jain and Smt. Kantabai Jain W/o Shri Kamal Kumar Jain have expressed his desire to join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them w.e.f. 01/07/1991.
5. That Shri Abhishek Jain S/o Shri Dinesh Kumar Jain have expressed his desire to join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them w.e.f. 01/04/2005 and Shri Sumat Kumar Jain S/o Shri Mangi Lal Jain and Smt. Kantabai Jain W/o Shri Kamal Kumar Jain in pursuance to their desire to retire from the partnership firm w.e.f. 31/03/2005.
6. That Shri Ankit Jain S/o Shri Dinesh Kumar Jain and Shri Anshul Jain S/o Shri Dinesh Kumar Jain have expressed their desire to join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them and Shri Mangital Jain S/o Late Shri Ganpatlal Jain in pursuance to his desire to retire from the partnership firm and the principal place of business of the firm is shifted to 101-B, Rani Avanti Bai Transport Nagar, New Kokta By Pass, Bhopal w.e.f. 01/04/2014.

Partner/-

"M/s. VIKAS ROAD CARRIERS"

101-B, Rani Avanti Bai Transport Nagar, New Kokta By Pass, Bhopal-

(G-83)

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि प्रार्थी फर्म मैसर्स - मैसर्स आशी इन्टर प्राइजेज (M/S AASHI ENTERPRISES), ए-803, (रेड ट्यूलिप) डी.बी. सिटी तेंदुलकर मार्ग सिटी सेंटर ग्वालियर म.प्र. 474002 जोकि रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी ग्वालियर संभाग ग्वालियर में पंजीयत है। जिसका पंजीयन नं. 02/42/01/0107/21 दिनांक 26.07.2021 है। उक्त फर्म से भागीदार श्री रामवीर सिंह जादौन पुत्र श्री गनेश सिंह जादौन उम्र 34 वर्ष धर्म हिन्दू पता. म.नं. 58, वार्ड नं. 7, सबलगढ जिला सुरेना म.प्र. दिनांक 01.04.2022 को अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक हो गये हैं। इनके स्थान पर नवीन भागीदार श्री गजेन्द्र सिंह जादौन पुत्र श्री सुरेश सिंह जादौन उम्र 37 वर्ष पता शिव नगर नियर घोसीपुर स्टेशन ग्वालियर म.प्र., को अपनी फर्म में दिनांक 01.04.2022 को सम्मिलित किया जा रहा है। एवं दिनांक 01.04.2022 से फर्म का मुख्य कार्यालय पता ए-803, (रेड ट्यूलिप) डी.बी. सिटी तेंदुलकर मार्ग सिटी सेंटर ग्वालियर म.प्र. से परिवर्तित कर नवीन स्थल शाप नं.12, मिलेनियम प्लाजा, गोविन्दपुरी रोड, ग्वालियर म.प्र. 474011 हो गया है। आम जन सर्वजन सूचित हो किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में सूचित करें।

भागीदार

(दिव्यांशी सेंगर)

मैसर्स आशी इन्टर प्राइजेज

ए-803, (रेड ट्यूलिप) डी.बी. सिटी तेंदुलकर
मार्ग सिटी सेंटर ग्वालियर म.प्र.

(G-84)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s MAA SHARDA STONE CRUSHER जो C/O MR. MEJAR AHAMAD A-146 ANAND NAGAR BHODAPUR GWALIOR में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/0178/18 दि. 03.11.2018 है, जिसमें दिनांक 01.02.2022 को 1 Mr. Anil Shrivastava S/o Shri Babu Lal Shrivastava Add: Sambhajee Krishna Gandhi Sadak Morar 2 Mr. Vivek Tripathi S/o Shri Satish Kumar Tripathi Add: 510 Suresh Nagar Thatipur Morar फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं। एवं दिनांक 02/12/2022 को भागीदार 1. Mr. Mejar Ahamad S/o. Shri Kadar Baks, Add: A-146, Anand Nagar, Bhodapur, Gwalior (M.P.) 2. Mr. Amit Jain S/o. Shri. Pradeep Kumar Jain, Add: Luvkush Vihar Colony, Seva Nagar, Gwalior 3. Mr. Manish Rajput S/o Shri Jitendra Singh Rajput Add: Anand Nagar, in front of Muskan Vatika, Bahodapur, Gwalior 4. Mr. Rakesh Singh Rathor S/o Shri. Parmal Singh Rathor Add: Subhash Puri, Ghasmandi, Gwalior अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं। एवं इसी दिनांक 02/12/2022 को Smt. Praveena Pathak W/o. Shri Rajesh Kumar Pathak Add: 907, Archi Aribant Apartment 100 Feet DPS Road, Shobhagpura, Udaipur (Rajasthan) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई है। तथा इसी दिनांक 02/12/2022 को फर्म का मुख्य कार्यालय MR. MEJAR AHAMAD A-146 ANAND NAGAR BHODAPUR GWALIOR से परिवर्तित कर फर्म का नवीन मुख्य कार्यालय FLAT NO 301 MAA PITAMBARAA ENCLAVE RAMDAS GHATI SHINDE KI CHAWANI GWALIOR हो गया है आमजन एवं सर्वजन सूचित हो ।

श्री विपिन शर्मा (भागीदार)

M/s MAA SHARDA STONE CRUSHER

MR. MEJAR AHAMAD A-146 ANAND NAGAR BHODAPUR GWALIOR

(G-85)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, टी.टी. नगर, भोपाल मध्यप्रदेश.

प्र.क्र.-03/बी-113/2022-23

प्रारूप-4
(नियम-5(1) देखिये)
सूचना-पत्र

(म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और म0प्र0 लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) के अंतर्गत)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, टी0टी0 नगर भोपाल जिले के समक्ष

चूंकि श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी आ0 श्री देवीदत्त चतुर्वेदी निवासी-अनुग्रह प्रथम तल, एच-3 बी, 74 बंगला निशात कालोनी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म0प्र0 ने लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18.01.2023 को विचार के लिए लिया जावेगा।

अतः मैं अनुविभागीय अधिकारी, एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, टी0टी0 नगर भोपाल का प्रज्ञा विमर्श न्यास (ट्रस्ट) भोपाल लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 18.01.2023 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

1- ट्रस्ट का नाम :- प्रज्ञा विमर्श न्यास (ट्रस्ट) भोपाल म0प्र0।

2- अचल सम्पत्ति :- निल।

3- चल सम्पत्ति :- निल।

आज दिनांक 03.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीय पदमुद्रा से जारी की गई।

(G-86)

संजय कुमार श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट.

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

क्रमांक/एसडीएम नगर/रीडर-1/2022/H.N. 345
प्र. क्र. 0032/B-113/2022-23

उज्जैन, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

प्रारूप-4
(नियम-5(1) देखिये)
सूचना-पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए।
पंजीयक,
लोकन्यास,
उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक श्री रामनारायण राठौर पिता सुंदरलाल जी राठौर निवासी- 56, कंचनपुरा मक्सी रोड उज्जैन द्वारा "श्री राठौर तिर्थ न्यास" उज्जैन (म.प्र.) कार्यालय- 56, कंचनपुरा मक्सी रोड उज्जैन ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद् द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 31/01/2023 को दोपहर 03:00 बजे स्थान-सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-01 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28/12/22 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

—:अनुसूची:—

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम:—	"श्री राठौर तिर्थ न्यास"
कार्यालय :—	56, कंचनपुरा मक्सी रोड उज्जैन म.प्र.
अचल संपत्ति :—	वर्तमान में न्यास के पास अचल संपत्ति निरंक है।
चल संपत्ति :—	आवेदन में चल सम्पत्ति 11000/-रु. दर्शाया गया है।

(G-87)

कल्याणी पाण्डेय, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

क्रमांक/एसडीएम नगर/रीडर-1/2022/H.N. 344
प्र. क्र. 0031/B-113/2022-23

उज्जैन, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

प्रारूप-4
(नियम-5(1) देखिये)
सूचना-पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए।

पंजीयक,
लोकन्यास,
उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव पति श्री चंद्रकुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष, द्वारा जय निखिलेश्वरानंद धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट कार्यालय- महेश कुमावतजी अयोध्या निवास, 3 जयसिंहपुरा, कुमावत आटा चक्की के पास, रेलवे कासिंग, पीपली बाजार, उज्जैन म.प्र. द्वारा "जय निखिलेश्वरानंद धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट" उज्जैन (म.प्र.) पंजीकृत कार्यालय- महेश कुमावतजी अयोध्या निवास, 3 जयसिंहपुरा, कुमावत आटा चक्की के पास, रेलवे कासिंग, पीपली बाजार, उज्जैन ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद् द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 31.01.2023 को दोपहर 03:00 बजे स्थान- सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-01 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28.12.22 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करती हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

-:अनुसूची:-

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम:-	"जय निखिलेश्वरानंद धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट"
कार्यालय :-	महेश कुमावतजी अयोध्या निवास, 3 जयसिंहपुरा, कुमावत आटा चक्की के पास, रेलवे कासिंग, पीपली बाजार, उज्जैन म.प्र.
अचल संपत्ति :-	वर्तमान में न्यास के पास अचल संपत्ति निरंक है।
चल संपत्ति :-	आवेदन में चल सम्पत्ति को निरंक दर्शाया गया है।

कार्यालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी

उपखण्ड— जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्रमांक / 5636 / रीडर-3 / 2022

जावरा, दिनांक 13 दिसम्बर 2022

प्रति,

उप नियंत्रक,

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,

अरेरा हिल्स, बी.डी.ए. ऑफिस के सामने, भोपाल (म.प्र.)

विषय - गजट नोटिफिकेशन करने बाबत।

//0-//

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक श्री श्री रणजीतसिंह सिसोदिया पिता सुमेरसिंह, निवासी ग्राम जालीनेर, तहसील पिपलौदा द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 4 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के तहत प्रस्तुत कर श्री राम जानकी मंदिर चैरेटीबल ट्रस्ट, ग्राम जालीनेर तहसील पिपलौदा का ट्रस्ट पंजीयन एवं नवीन कार्यकारिणी गठित करने का निवेदन किया है।

// पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण //

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) न्यास का पुरा नाम | - | श्री राम जानकी मंदिर चैरेटीबल ट्रस्ट, ग्राम जालीनेर तहसील पिपलौदा |
| (2) चल सम्पत्ति का विवरण | - | कुल 5000/- रुपये |
| (3) अचल सम्पत्ति का विवरण | - | सर्वे न. 170 पर बना रामजानकी मंदिर, 1116 स्क्वेयर आर सी सी में निर्मित मंदिर है। मंदिर रामजानकी आर सी सी में निर्मित मंदिर उचाई 41 फीट कुल बाजार मूल्य 15 लाख रुपये |

(G-89)

हिमांशु प्रजापति, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी

उपखण्ड— जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक / 5636 / रीडर-3 / 2022

जावरा, दिनांक 13 दिसम्बर 2022

// विज्ञप्ति //

फार्म - 4

(नियम 5(1) देखीये)

म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(2) के तहत

आवेदक श्री रणजीतसिंह सिसोदिया पिता सुमेरसिंह, निवासी ग्राम जालीनेर, तहसील पिपलौदा द्वारा धारा 4(2) म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 15/01/2023 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोप. 03.00 बजे की जावेगी।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 15/01/2023 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतिया प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा नियत समय पर उपस्थित होवे निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

// पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण //

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) न्यास का पुरा नाम | - | श्री राम जानकी मंदिर चैरेटीबल ट्रस्ट, ग्राम जालीनेर तहसील पिपलौदा |
| (2) चल सम्पत्ति का विवरण | - | कुल 5000/- रुपये |
| (3) अचल सम्पत्ति का विवरण | - | सर्वे न. 170 पर बना रामजानकी मंदिर, 1116 स्क्वेयर आर सी सी में निर्मित मंदिर है। मंदिर रामजानकी आर सी सी में निर्मित मंदिर उचाई 41 फीट कुल बाजार मूल्य 15 लाख रुपये |

(G-90)

हिमांशु प्रजापति, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास,
अनुविभाग- पुनासा जिला खंडवा, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 00/बी-113 (1)/2022-23

**प्रारूप चार
विज्ञप्ति**

(म.प्र.) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2), एवं म.प्र. सार्वजनिक न्यास
नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत
दिनांक 03.01.2023 को जारी

आवेदक श्री जोगेन्द्रसिंह पिता अनारसिंह निवासी ग्राम नेतनगांव तह. पुनासा
जिला खंडवा वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष द्वारा "श्री क्षत्रिय राजपूत समाज सेवा संगठन
नेतनगांव" तह. पुनासा जिला खंडवा म.प्र. का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु
म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के
पंजीयन हेतु निवेदन किया गया। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर
मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 27.01..2023 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो
और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक
माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा
अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति
के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- अनुसूची -

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता:- "श्री क्षत्रिय राजपूत समाज सेवा संगठन नेतनगांव"
तह. पुनासा जिला खंडवा म.प्र.
पता:- "श्री क्षत्रिय राजपूत समाज सेवा संगठन नेतनगांव"
तह. पुनासा जिला खंडवा म.प्र.

- अनुसूची "अ" -

चल संपत्ति :- नगद - 20000-00 रुपये

- अनुसूची "ब" -

अचल संपत्ति:- - निरंक -

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास उपखण्ड सिहोरा
जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

क्रमांक-1028 / प्रवा 1 / अविअ / 2022

सिहोरा दिनांक 30 दिसम्बर 2022.

// इशतहार //

प्रारूप 4 (नियम 5 (1) देखिए)

(म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) के अंतर्गत)

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्री अभय पाण्डे पिता स्व. चंद्रिका प्रसाद पाण्डे निवासी इन्द्राना तहसील मझौली जिला जबलपुर म प्र के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत श्री राम जानकी मंदिर इन्द्राना/सिंगलदीप तहसील मझौली जिला जबलपुर को लोक न्यास घोषित किए जाने बाबत आवेदन मय संलग्न दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है -

- 1 न्यास का नाम - श्री रामजानकी मंदिर इन्द्राना, सिंगलदीप
- 2 न्यास का पंजीयन पता - श्री रामजानकी मंदिर इन्द्राना पो.आ. इन्द्राना तहसील मझौली जिला जबलपुर म प्र
- 3 लोक न्यास का उद्गम प्रकृति एवं उद्देश्य - श्री रामजानकी मंदिर इन्द्राना/सिंगलदीप में भगवान की मूर्तिया स्थापित हैं जो लगभग 100 वर्षों से अधिक पुरानी हैं, जिसकी स्थापना महंत रामेश्वर द्वारा की गई थी, न्यास का उद्देश्य सनातन धर्म की स्थापना धार्मिक त्यौहार का संचालन, यज्ञ का आयोजन करना है साथ ही गरीब तबके के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इस न्यास की प्रवृत्ति पूर्णतः धार्मिक है जिसमें अध्यात्मिक एवं धार्मिक वातावरण स्थानीय लोगों में निर्मित करना विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना है।
- 4 न्यासियों का नाम एवं पता -
 - 1 श्री अभय पाण्डे पिता स्व. चंद्रिका प्रसाद पाण्डे, प्रबंध न्यासी, निवासी इन्द्राना तह. मझौली जि. जबलपुर
 - 2 रमाकांत दास गुरु नारायण दास, महंत एवं पुजारी, निवासी इन्द्राना तहसील मझौली जिला जबलपुर
 - 3 शोभा दीदी, महंत निवासी रामपुर छापर जबलपुर
 - 4 सरपंच ग्राम पंचायत इन्द्राना, पदेन न्यासी निवासी इन्द्राना तहसील मझौली जिला जबलपुर
 - 5 सरपंच ग्राम पंचायत कापा, पदेन न्यासी निवासी कापा पोस्ट इन्द्राना तह. मझौली जिला जबलपुर
 - 6 नारायण सिंह चौहान पिता स्व. शंकर सिंह चौहान, पदेन न्यासी, निवासी मैगई पोस्ट इन्द्राना तह. मझौली
 - 7 रवि सिंह पिता स्व. महापाल सिंह, न्यासी, निवासी इन्द्राना तहसील मझौली जिला जबलपुर
 - 8 योगेश विश्वकर्मा पिता श्री गोपाल विश्वकर्मा, न्यासी, निवासी कापा पोस्ट इन्द्राना तह. मझौली जिला जबलपुर
 - 9 उदय सिंह पिता स्व. ठाकुर सिंह, न्यासी, निवासी मुझारी पोस्ट इन्द्राना तहसील मझौली जिला जबलपुर
 - 10 शंकर कोष्टा पिता समेर कोष्टा, न्यासी निवासी इन्द्राना तहसील मझौली जिला जबलपुर
 - 11 श्याम नारायण पिता उल्लमचंद असाठी, न्यासी निवासी इन्द्राना तहसील मझौली जिला जबलपुर
 - 12 मानसिंह ठाकुर पिता स्व. पंचम सिंह, न्यासी निवासी इन्द्राना तहसील मझौली जिला जबलपुर
 - 13 दशरथ विश्वकर्मा, न्यासी निवासी सिंगलदीप पोस्ट इन्द्राना तहसील पनागर जिला जबलपुर
 - 14 सुभाष पालीवाल पिता भगवतप्रसाद, न्यासी निवासी कापा तहसील मझौली जिला जबलपुर
 - 15 कप्तान पटैल, न्यासी निवासी सिंगलदीप पोस्ट इन्द्राना तहसील पनागर जिला जबलपुर
 - 16 योगेन्द्र सिंह पिता रामसिंह ठाकुर, न्यासी निवासी कापा पोस्ट इन्द्राना तह. मझौली जिला जबलपुर
- 5 न्यासियों की नियुक्ति - न्यासियों की नियुक्ति न्यास की बैठक में बहुमत के आधार पर किया जायेगा।
- 6 न्यास की बैठक - न्यास की बैठक की अध्यक्षता प्रबंध न्यासी करेंगे उनकी अनुपस्थिति में कोई भी न्यासी बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। बैठक प्रारंभ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। बैठक का विवरण बैठक रजिस्टर में दर्ज होगा साथी ही सूचना रजिस्टर में सूचना का विवरण एवं सूचना भेजने के विषय में उल्लेख होगा।
- 7 न्यास के कार्य का विभाजन - न्यासियों की बैठक में कार्यों का विभाजन किया जाएगा जिसमें किसी उत्सव या किसी धार्मिक का दायित्व किसी विशेष न्यासी को दिया जा सके, इसके साथ ही न्यायालयीन कार्यों के लिए न्यासी को अधिकृत किया जायेगा जो कि बैठक में सर्वसम्मति से पारित निर्णय के अनुसार होगा।

- 8 न्यासियों का त्यागपत्र – किसी न्यासी के त्यागपत्र देने पर अथवा मृत्यु होने पर या न्यासी नियमावली के विरुद्ध कार्य करने से सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।
- 9 न्यास की चल अचल संपत्ति – न्यास की चल अचल संपत्ति का विवरण इस प्रकार हैं, चल संपत्ति बैंक खाता नंबर 1535 पुराना सेन्ट्रल बैंक शाखा इन्द्राना में रु 2061/- रूपए
अचल संपत्ति – ग्राम इन्द्राना में भूमि खसरा नंबर 137, 212 रकबा कमशः 1.65हे, 2.76हे, ग्राम नैगवा में भूमि खसरा नंबर 52, 58/2 रकबा कमशः 1.77, 0.42हे, ग्राम श्यामपुरा में भूमि खसरा नंबर 15, 18 रकबा 2.39हे, 0.35हे, ग्राम मुझारी में भूमि खसरा नंबर 110, 114 रकबा कमशः 0.70हे, 2.27हे. ग्राम सिंगलदीप तह. पनागर जिला जबलपुर में भूमि खसरा नंबर 40, 49, 208, 317, 165, 180, 224, 348, 380 रकबा कमशः 0.75, 0.8, 2.72, 0.25, 0.01, 0.17, 1.12, 1.70, 0.80हे एवं श्रीरामचंद्र भगवान नाबालिक रामजानकी मंदिर इन्द्राना के नाम भूमि खसरा नंबर 152 रकबा 1.21हे.।
- 10 न्यास में संलग्न मंदिर –
1 श्री रामजानकी मंदिर इन्द्राना तहसील मझौली जिला जबलपुर
2 श्री हनुमानजी महाराज मंदिर इन्द्राना तह. मझौली जिला जबलपुर
3 श्री गणेश जी मंदिर
4 श्री शंकर जी महाराज मंदिर
5 श्री गौरी मंदिर
6 श्री राधाकृष्ण मंदिर
7 साधु संतो एवं यात्रियों को ठहरने के लिए शाला में भवन
8 श्री रामचंद्र भगवान रामजानकी मंदिर सिंगलदीप तह. पनागर जिला जबलपुर
- 11 रामजानकी मंदिर में मूर्तियों का विवरण
1 रामजी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, 3 मूर्तिया पत्थर की
2 श्री राधाकृष्ण की मूर्ति पत्थर की 2,
3 श्री नरसिंह भगवान की मूर्ति पीतल की 1,
4 लड्डू गोपाल जी की अष्ट धातु की मूर्ति 2,
5 19 मूर्तिया छोटी पीतल की,
6 सालिगराम की 9 मूर्तिया एवं बिगुल पीतल की एक,
7 हनुमान जी की मूर्ति पत्थर की 1,
9 शंकर जी की मूर्ति
- 12 चल अचल संपत्ति में होने वाली आय – दान पेटी, चढ़ोत्तरी इत्यादि से प्राप्त आय-सभी से आय की राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाएगा, किन्तु व्यय न्यास की बैठक के लिए निर्णय अनुसार होगा।
- 13 न्यास के व्यय – पुजारी का वेतन, कोठारी का वेतन, मंदिर में सेवा करने वाले सेवक का वेतन, गौशाला में गाय चराने वाले का वेतन, गायो की भोजन चराने वाले चरवाहे का वेतन, बसंत उत्सव एवं धार्मिक त्यौहारों पर व्यय, गरीब कन्याओं की शादी करना, मंदिर की मरम्मत रखरखाव, गौशाला की स्थापना, सेवा एवं रक्षा को व्यवस्था, निर्धन परिवारों के बच्चों उच्च शिक्षा हेतु निःशुल्क व्यवस्था, गरीब लाचार एवं वृद्ध बेसहारा लोग व संतों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था, यज्ञ के अवसर पर निर्धन गरीबों-अपाहिजो को ठण्ड से बचने के लिए कंबल वितरण तथा प्रत्येक 3 वर्ष में यज्ञ के समय निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करना एवं अन्य।

प्रकरण दिनांक 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को मेरे न्यायालय स्थान सिहोरा जिला जबलपुर में दोपहर 2.00 बजे सुनवाई में लिया जावेगा। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा लोक न्यास गठन किए जाने पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो वह नियत सुनवाई दिनांक को स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, नियत दिनांक के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30.12/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

क्र./परि/2022/Q

शाजापुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2022.

--: सूचना-पत्र :-

(म0प्र0सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1	मौ दुर्गा बचत साख सहकारी संस्था मर्यादित टकराना	45/15.12.04	1323/16.11.15
2	मौ दुर्गा बचत साख सहकारी संस्था मर्यादित पाडली	43/15.12.04	518/16.05.15
3	कृषि उपज मंडी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित शुजालपुर	167/17.11.80	46/21.01.21

अतः मैं मनोज पुरोहित, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला शाजापुर म0प्र0सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-93)

मनोज पुरोहित, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

क्र./परि/2022/Q

शाजापुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2022.

--: सूचना-पत्र :-

(म0प्र0सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र	नाम संस्था	पंजी.क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1	चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित बोलाई	52/11-04-62	1695/30.08.19
2	कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित लहारखेड़ा	1087/06-08-13	37/21-01-2021
3	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित टिगरिया करजू	508/29-03-90	3659/05-12-22

अतः मैं योगेश शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला शाजापुर म0प्र0सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-94)

योगेश शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, देवास, मध्यप्रदेश

क्र.-परिसमापन-2022-क्यू

देवास, दिनांक 5 सितम्बर 2022

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जिला देवास द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित उदयनगर	1285/03.11.2012	1971/02.12.2022
2	मुस्कान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खारपा	1997/21.09.2015	1973/21.12.2022
3	जय बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या नामनपुर	1290/05.01.2013	1974/02.12.2022

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैश्लिष्ट हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए.बी. रोड देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि का दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 4.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(G-95)

मंयक रावत, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जिला देवास द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित नरसिंहपुरा	1287/3.11.2012	982/7.7.2022
2	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कनाड	1325/30.5.2013	983/7.7.2022
3	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित किशनगड	1149/6.6.2006	1317/2.9.2022
4	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित नीमपड़ाव	162/22.3.69	1325/2.9.2022

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ ए.बी. रोड देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी बसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 5.9.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(G-96)

विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक नसरुल्लागंज,
जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

क्र. 1614-रीडर-2022

सीहोर, दिनांक 16 जनवरी 2022

प्ररूप 5

(देखे नियम 5(1))

(मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) द्वारा)

विज्ञप्ती

लोक न्यास के पंजीयक नसरुल्लागंज जिला सीहोर के समक्ष

मुझे ज्ञात हुआ है यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा 2 की उप धारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है:-

इसलिये मे दिनेश सिंह तोमर अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक नसरुल्लागंज जिला सीहोर मेरे समक्ष दिनांक 31/01/2022 पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद् द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितवद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	संपत्ति का वर्णन	चल सम्पत्ति	चल सम्पत्ति	अन्य विवरण
धर्मस्व कुशवाह समाज समिति ग्राम छिदगांवकाछी	निरंक	निरंक	निरंक	-

(G-97)

दिनेश सिंह तोमर, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, रजिस्ट्रार, ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र-एसडीएम नगर-रीडर-1-2023-HN-364 प्र.क्र. 0033-B-113-2022-23

उज्जैन, दिनांक 10 जनवरी 2023

प्रारूप-4

(नियम-5) 1 (देखिए)

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए।

पंजीयक,

लोकन्यास,

उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक अय्युब पिता मुंशी एहमद निवासी- 6/4, मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन म.प्र. द्वारा "इत्तिहाद चैरिटेबल ट्रस्ट" उज्जैन (म.प्र.) कार्यालय- 102, कोट मोहल्ला, गली नम्बर 7, महाकाल मार्ग उज्जैन ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद् द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 10.01.2023 को दोपहर 03:00 बजे स्थान- सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-01 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10.01.23 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

—:अनुसूची:—

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम:-

"इत्तिहाद चैरिटेबल ट्रस्ट"

कार्यालय :-

102, कोट मोहल्ला, गली नम्बर 7, महाकाल मार्ग उज्जैन

अचल संपत्ति :-

वर्तमान में न्यास के पास अचल संपत्ति निरंक है।

चल संपत्ति :-

आवेदन में चल सम्पत्ति 11000/-रु. दर्शाया गया है।

(G-98)

कल्याणी पाण्डेय, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, (मल्हारगंज)
इन्दौर, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 238-ट्रस्ट-2022

इन्दौर, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत आवेदक श्री दिगम्बर जैन गणधर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तर्फ न्यासी नन्दकिशोर जैन पिता श्री रोशनलाल जैन कार्यालय पता- पता 89 लोकनायक नगर, एयरपोर्ट रोड़ इंदौर इंदौर द्वारा श्री दिगम्बर जैन गणधर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का म.प्र. का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम :-	श्री दिगम्बर जैन गणधर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट
पता :-	कार्यालय पता आशा पैलेस कॉलोनी इंदौर
चल-अचल संपत्ति :-	चल सम्पत्ति - अक्षरी रूपये ग्यारह हजार मात्र व अचल सम्पत्ति निरंक है।

आज दिनांक 27 / 12 / 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-99)

मुनीष सिंह सिकरवार, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, तराना जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र. रीडर-66

तराना, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

(म.प्र. जन न्यास अधिनियम की धारा 5 (1) एम 5 (2) के अन्तर्गत)

आवेदक सतीशचन्द्र मूंदड़ा द्वारा निवासी कस्बा तराना द्वारा आवेदनपत्र म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर श्री गोपालकृष्ण बाहेती अभिभाषक की ओर से श्री माहेश्वरी समाज, सेवा ट्रस्ट तराना को म.प्र. लोक न्यास में पंजीकरण करने हेतु प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त न्यास से संबंधित कोई व्यक्ति जो न्यास अथवा अनुसूचित में वर्णित चल/अचल सम्पत्ति में हित या रूची रखता हो तो आपत्ति अथवा सुझाव इस न्यायालय में विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से एक माह के अंदर अथवा प्रकरण में नियत दिनांक 07.02.2023 तक स्वयं अथवा अपने अभिभाषक या मुख्त्यार आम के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

1. ट्रस्ट का नाम — श्री माहेश्वरी समाज सेवा ट्रस्ट, तराना
2. वर्तमान पता — सुभाष मार्ग, तराना, तहसील तराना जिला उज्जैन (म.प्र.)
3. सम्पत्ति का विवरण — ट्रस्ट न्यास की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—

1. चल सम्पत्ति— सेवा ट्रस्ट के बर्तन व फर्नीचर मूल्य राशि रूपये 50,000/—
2. अचल सम्पत्ति— कस्बा तराना नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 12 मकान क्रमांक 143 में समाज की अचल सम्पत्ति के रूप में उपलब्ध है।

(G-100)

एकता जायसवाल, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक सार्वजनिक लोक न्यास बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

क्र. क-लोन्या-2023-176

बुरहानपुर, दिनांक 10/13 जनवरी 2023

(नियम पांच -1 देखिए)

(म.प्र. सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

प्रकरण क्रं..../बी-113/2022-23

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की लोक न्यास के पंजीयन बुरहानपुर जिला- बुरहानपुर के समक्ष प्राचीन चमत्कारी श्री ईच्छेश्वर हनुमान मंदिर ट्रस्ट शाहदरा लोधीपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र. अध्यक्ष ईश्वर नामदेव महाजन निवासी- वार्ड नं.06 लोधीपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए "लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक- 10.01.2023 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भितर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा।

-अनुसूची-

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

1. प्राचीन चमत्कारी श्री ईच्छेश्वर हनुमान मंदिर ट्रस्ट शाहदरा लोधीपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.।
2. वर्किंग ट्रस्टी अध्यक्ष- ईश्वर नामदेव महाजन निवासी- वार्ड नं.06 लोधीपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर,
3. चल संपत्ति- 1,00,000
4. अचल संपत्ति- -

जारी दिनांक- 10.01.2023

(G-101)

दीपक चौहान, पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक लोक सेवा न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) अनुभाग-बागली,
जिला देवास, मध्यप्रदेश

क्र. 3663-रीडर-1-2022-प्र.क्र. 0002-बी-113-2021-22

बागली, दिनांक 9 दिसम्बर 2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि म0प्र0 लोक सेवा न्यास अधिनियम 1951(क 30) की धारा 05 एवं उपधारा 02 और म0प्र0 एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा न्यास अधिनियम 1962 का नियम 5 (1) अनुसार श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट न्यास उदयनगर जिला देवास तर्फे प्रमुख ट्रस्टी गिरधारीलाल पिता नंदलाल महाजन निवासी उदयनगर ने म0प्र0 लोक सेवा न्यास अधिनियम (क 30) की धारा 04 के अंतर्गत ट्रस्ट बनाकर उसके पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसका प्रकरण क्रमांक 02/बी-113/22-23 दर्ज है। उक्त न्यास की पंजीयन पर किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदि को किसी प्रकार की क आपत्ति हो तो विज्ञप्ती दिनांक 09/12/2022 से एक माह के अंदर मेरे न्यायालय कार्यदिवस के समय 10.30 बजे उपस्थित होकर मय दस्तावेज के स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधी के माध्यम से पेश करे। बाद म्याद दावा, आपत्ति मान्य नहीं होकर न्यास पंजीयन कर दिया जावेगा।

दिनांक 09/12/2022

स्थान - बागली

(G-102)

क्र. 3665-रीडर-1-2022-प्र.क्र. 0003-बी-113-2021-22

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि म0प्र0 लोक सेवा न्यास अधिनियम 1951(क 30) की धारा 05 एवं उपधारा 02 और म0प्र0 एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा न्यास अधिनियम 1962 का नियम 5 (1) अनुसार आवेदक श्री पाटीदार समाज न्यास मंडल लिंगोदा तह0 हाटपिपल्या अध्यक्ष श्री बाबुलाल पिता गंगाराम पाटीदार निवासी लिंगोदा तह0 हाटपिपल्या ने म0प्र0 लोक सेवा न्यास अधिनियम (क 30) की धारा 04 के अंतर्गत ट्रस्ट बनाकर उसके पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसका प्रकरण क्रमांक 3/बी-113/22-23 दर्ज है। उक्त न्यास की पंजीयन पर किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ती दिनांक 09/12/2022 से एक माह के अंदर मेरे न्यायालय में कार्यदिवस के समय 10.30 बजे उपस्थित होकर मय दस्तावेज के स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधी के माध्यम से पेश करे। बाद म्याद दावा, आपत्ति मान्य नहीं होकर न्यास का पंजीयन कर दिया जावेगा।

दिनांक 09/12/2022

स्थान - बागली

(G-103)

शोभाराम सोलंकी, पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज, लिमिटेड

डब्ल्यूआर-II-इंद-एसईजी-आरएसी-01-121-ई-18

दिनांक 19 जनवरी 2023

आम सूचना

पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (पी.ई.एस.एल.) (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी), जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा 122001 है, विद्युत पारेषण के उद्देश्य से विद्युत लाइनें या विद्युत संयंत्र स्थापना के लिए अथवा सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित या अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ, जो कि कार्यों के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार प्रणाली के लिए आवश्यक हो, के प्रयोजन से टेलीग्राफ लाइनें विछाने और पोस्ट लगाने के संबंध में, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्रदत्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत सभी शक्तियां को प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को आवेदन करना चाहता है और निम्नलिखित पारेषण योजनाओं के सर्वेक्षण, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण, इरेक्शन और अन्य कार्य किए जाएंगे तथा तत्पश्चात कमिश्निंग, प्रचालन, रखरखाव और अन्य कार्य होंगे।

ट्रान्समिशन स्कीम का नाम : नागदा, उज्जैन (म.प्र.) में 85 मेगावाट (ए.सी.) क्षमता के ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी पावर प्लांट से जुड़ी ट्रान्समिशन लाइनें।

इस स्कीम में शामिल कार्यों का विवरण :

1) 220 के.वी. एम.सी. नागदा सौर ऊर्जा संयंत्र (पी.ई.एस.एल.)- 400 के.वी. नागदा (एम.पी.पी.टी.सी.एल.) पारेषण लाईन

2) नागदा सौर ऊर्जा संयंत्र में 2x50 एम.वी.ए., 220/33 के.वी. सबस्टेशन की स्थापना

इस योजना के अंतर्गत शामिल पारेषण लाईन मध्य प्रदेश के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों के बीच में, ऊपर से अथवा आस-पास से गुजर कर जाएगी :

क्र. सं.	गाँव/ कस्बा / शहर का नाम	तहसील	जिला
1	नागदा, मकला, डाबरी, बनबना, गुराडियापितरामल, मोहना, अमलावद और जुन्नारदार	नागदा	उज्जैन

मांग संरक्षण की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है। एतद् द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के दो महीने के भीतर प्रस्तावित पारेषण प्रणाली पर लिखित में अवलोकन/प्रतिनिधित्व करने के लिए सामान्य जनता को सूचना दी जाती है। विवरण और स्पष्टीकरण के लिए कृपया निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क करें :

नाम : मनीष कुमार तिवारी

पदनाम : वरिष्ठ महाप्रबन्धक

कार्यालय का पता : पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पी.ई.एस.एल, सौर ऊर्जा समूह, योजना संख्या 74-सी (डीएफ-1 से डीएफ-11) लाइफ केयर अस्पताल के सामने, विजय नगर, इंदौर- 452010 (मध्य प्रदेश)

PUBLIC NOTICE

POWERGRID Energy Services Limited (PESL) (A wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited) having its registered office at Saudamini, Plot No.2, Sector -29, Gurugram, Haryana 122001 intends to apply to the Government of Madhya Pradesh to confer upon him all the power under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for the placing of electric lines or electrical plant for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for the proper coordination of works which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act. 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained and will undertake the survey, construction, installation, inspection, erection and other works to be followed by commissioning, operation, maintenance and other works for the following transmission schemes.

Name of Transmission Scheme: Ground mounted Solar PV Power Project of 85 MW (AC) capacity at Nagda, Ujjain (MP)

Work Covered under this scheme:

- 1) Nagda Solar Plant (PESL)-400/220kV Nagda (MPPTCL) 220kV S/C Transmission line
- 2) Establishment of 220/33kV Substation including 2 nos. of 50 MVA Transformers

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around, and between the following villages, towns, and cities of Madhya Pradesh:

Sr. No.	Name of Village / Town / City	Tehsil	District
1	Nagda, Makla, Dabri, Banbana, Guradiyapitramal, Mohna, Amlawad and Junnardar	Nagda	Ujjain

Copy of the route alignment is available in the office of the undersigned. Notice is hereby given to the general public to make observation / representation on the proposed transmission system within two months from the date of publication of this notice to the office of the undersigned in writing. For further particulars and clarifications, please contact.

Name: Manish Kumar Tiwari

Designation: Sr. General Manager

Office Address: Power Grid Corporation of India Limited, PESL, Solar Energy Group, Scheme No. 74C (DF-I to DF-II), In front of Life Care Hospital, Vijay Nagar, Indore - 452010 (Madhya Pradesh)

(G-104)

मनीष कुमार तिवारी, वरिष्ठ महाप्रबंधक (सोलर एनर्जी).

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम श्री अरुण अग्रवाल, श्रीमती शालिनी अग्रवाल एवं सुश्री आयुषी अग्रवाल कार्यालय स्थित - 250, सागर प्लाजा, एम.पी. नगर जोन- 2, भोपाल (म. प्र.) के मध्य एक भागीदारी विलेख दिनांक 01/04/2013 को निष्पादित हुआ था जिसे हमारे द्वारा हमने एक फर्म जिसका नाम मेसर्स श्री अग्रवाल डेवलपर्स है को फर्म एंड सोसाइटी में पंजीकृत भी करवाया था जिसका पंजीयन क्रं. 01/01/01/00479/14 सं 2013-14 है। उक्त भागीदारी विलेख में भागीदारी संशोधन विलेख दिनांक 21/12/2022 के माध्यम से श्री अभिनव अग्रवाल पुत्र श्री अरुण अग्रवाल को भागीदार के रूप में जोड़ दिया गया है जिसमे सभी भागीदारों की पूर्ण सहमति है। यदि इस हेतु किसी को भी कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर अधोलिखित के समक्ष अपना लिखित पक्ष/ तर्क व आपत्ति का आधार व साध्य प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाली आपत्ति स्वतः ही शून्य मानी जायेगी। सर्वजन सूचित है।

अरुण अग्रवाल

भागीदार

मेसर्स, श्री अग्रवाल डेवलपर्स

पता-250, सागर प्लाजा, एम.पी. नगर जोन-II

भोपाल (म. प्र.)

(G-105)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023—माघ 7, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)